मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 170/2024

इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

...............वादी

बनाम

1. अनिलकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन 23 जे आर के बी ढ़ाणी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कमलादेवी पत्नि कृष्णलाल (नाम कलमजन)।
3. दलीपकुमार पुत्र कृष्णलाल (नाम कलमजन)
4. जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा 24 जे आर के गोलूवाला (नाम कलमजन)
5. जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा गोलूवाला (नाम कलमजन)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

...प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :– 14/01/2025

वादी की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री शेलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** **आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88 आरटीए के अन्तर्गत खाता विभाजन एवं घोषणा की जाती है कि तहसील पीलीबंगा के चक 5 यू.एम.डब्ल्यु. की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077– जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 49/22 का प.न. 23/211 मु.न. 26 कि.न. 5/1/0.2280, 5/2/0.0250 रास्ता, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता व प.न. 24/210 मु.न. 18 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 4.3010 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 अनिलकुमार के नाम दर्ज 3/8 हिस्सा यानि 1.6128 है. कृषि भूमि में से 0.253 है. नहरी कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 5 यु.एम.डब्ल्यु. खाता संख्या 49/22 प.नं. 24/210(18) किला नं. 1/0.253 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि का वादी के नाम अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदारी भूमि अनुसार ही रहेगी किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा